संख्या- 65/1964/बयालिस-2015-159(विविध)/2015

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय :- स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स-यू0एस0ए0, 2015 में पदक विजेता उ0प्र0 के मूल निवासी खिलाडियों को पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स-यू0एस0ए0,2015 में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को क्रमश: रू0 10.00 लाख, रू0 05.00 लाख एवं रू0 02.00 लाख की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- प्रत्येक पदक विजेता खिलाडी को एक प्रशास्ति-पत्र व मेडल दिया जायेगा ।

(2)- उक्त पुरस्कार हेतु उत्तर प्रदेश का खिलाडी उस व्यक्ति को माना जायेगा जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है। खिलाडियों के प्रमाण- पत्रों आदि का सत्यापन निदेशक, खेल के स्तर पर किया जायेगा।

(3) किसी भी खिलाडी को उसके द्वारा एक से अधिक पदक प्राप्त करने की दशा में सबसे बडे केवल एक पदक के अनुरूप उक्त पुरस्कार अनुमन्य होगा।

2- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें -आयोजनेत्तर-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा ।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-5-1101/दस-2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या- 65/1964(1)/बयालिस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त् (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग -5 ।
3- गोपन अनुभाग-1
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in